NGT द्वारा उत्तराखंड के अधिकारियों की उपस्थिति मांग

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले में **176 पेड़ों की अवैध कटाई** से जुड़े एक मामले में **उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) के सदस्य सचिव और राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक** को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु:

- **सुनवाई के संदर्भ में:**
  - NGT उधम सिंह नगर ज़िले के चांदपुर गाँव में निजी व्यक्तियों द्वारा आवासीय कॉलोनी के विकास के लिये **पेड़ों की अनधिकृत निर्वनीकरण के संबंध में एक याचिका की समीक्षा** कर रही है।
- **संयुक्त समिति के निष्कर्ष:**
  - अपने आदेश में NGT बेंच ने **संयुक्त समिति की रिपोर्ट का हवाला** दिया जिसमें **176 पेड़ों की अवैध कटाई की पुष्टि** की गई थी।
  - न्यायाधिकरण ने कहा कि अनधिकृत वनों की कटाई के लिये **पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूल** की जानी चाहिये।
  - **मामले की जाँच करने वाली संयुक्त समिति में शामिल हैं:**
    - **ज़िला मजिस्ट्रेट**
    - **केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय**
    - **उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB)**
- **न्यायाधिकरण के निर्देश:**
  - रिपोर्ट की समीक्षा के बाद NGT ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा।
  - न्यायाधिकरण ने व्यक्तिगत उपस्थिति के महत्त्व पर बल दिया:
    - UKPCB के सदस्य सचिव
    - प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF)
  - न्यायालय ने उन्हें मामले में सहायता के लिये अगली सुनवाई में **व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश** दिया।
  - न्यायाधिकरण ने इस बात पर बल दिया कि **न्यायसंगत एवं उचित निर्णय के लिये उनकी उपस्थिति महत्त्वपूर्ण** है।

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB)

- यह **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** और **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत** स्थापित एक **वैधानिक संगठन** है।
- UKPCB भारत के **उत्तराखंड राज्य में प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी** के लिये ज़िम्मेदार है।
- इसका **मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में** है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ngt-seeks-presence-of-uttarakhand-officials